न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश , ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017-18 निगरानी
निगरानी/दतिया/भू.रा./2017/4687

छक्कीलाल पिता का नाम श्रीराम
प्रजापति , निवासी ग्राम जौनिया
तह0 इन्दरगढ़, जिला दतिया ॥म0प्र0॥

---- आवेदक

दिनाँक 27-11-17 को श्री एन० के० पाण्डे अभि० द्वारा प्रस्तुत।
27-11-17
पेश दि० 7-12-17

बनाम

॥1॥- रामप्रकाश पुत्र बाबूलाल वैश्य
निवासी इन्दरगढ़ , बार्ड नं0 8, तह0
इन्दरगढ़ , जिला दतिया ॥म0प्र0॥

॥2॥- लखन पुत्र श्यामलाल वैश्य ,
निवासी इन्दरगढ़ जिला दतिया ॥म0प्र0॥

॥3॥- अंगूरी पुत्री बाबूलाल वैश्य
निवासी इन्दरगढ़, तह0 इन्दरगढ़,
जिला दतिया ॥म0प्र0॥

------ अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-रा0 संहिता , विरूद्ध आदेश दिनांक 13-10-17 को अनुविभागीय अधिकारी सेंवढ़ा , जिला दतिया ने प्र0क्र0 23/अपील/14-15 के आदेश से अपीलान्ट का आवेदन धारा 5 अवधि विधान निरस्त कर अपील निरस्त की है जो कि पंजी क्र0 14 पर पारित आदेश दिनांक 18-3-11 के विरूद्ध पेश हुई थी ।

-----0-----

श्रीमान् जी, आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक / निगरानी / दतिया / भू.रा. / 2017 / 4687 **जिला** – दतिया

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7/12/17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एन.के. पाण्डेय उपस्थित। उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाना थी त्रुटिवश इस न्यायालय में निगरानी पेश कर दी गई है। उनके द्वारा प्रकरण को अपील में परिवर्तित कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किए जाने का अनुरोध किया गया। आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तुत मूल निगरानी आदि सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किए जाएं। प्रशासकीय सदस्य	